have acquired working knowledge of Hindi:-

### Armed Forces Transfusion Centre Delhi Cantt. Delhi -110010

[No. 1(1)/2011-D(OL-1)]

RAGHVENDRA NARAYAN DUBEY, Jt. Secy.

#### (वित्त प्रभाग)

## नई दिल्ली, 22 जुलाई, 2015

का.नि.आ. 31.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा लेखा विभाग अकानूनी कैंटीन (समूह 'ग' और समूह 'घ' पद) पद भर्ती नियम, 2000, जहां तक वे हलवाई और सहायक हलवाई के पद से संबंधित हैं, को उन वातों के सिवाय अधिकात करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया हो या किए जाने का लोप किया गया हो, रक्षा मंत्रालय, रक्षा लेखा विभाग में अकानूनी विभागीय वैट कैंटीन के अंतर्गत हलवाई-सह-रसोइया और सहायक हलवाई-सह-रसोइया के पद पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा लेखा विभाग, हलवाई-सह-रसोइया और सहायक हलवाई-सह-रसोइया (समूह 'ग'पद) भर्ती नियम, 2015 है।
  - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण और उनसे संबद्घ वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के स्तम्भ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.—उक्त पदों की भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं तथा इससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट किए गए हैं।
  - 4. निरर्हताएं.—वह व्यक्ति—
    - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या
    - (ख) जिसने अपने पित या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है;

उक्त सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

				2	
31	न	+-	7	ग्रा	•
				•	

		Š	अनुसूची		
पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. हलवाई- सह-रसोइया	40* (2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	ਕੇतन ਕੈਂड−1, 5200— 20200 ਨ. + ਸ਼ੇਤ ਕੇतन 2000 ਨ.	अचयन	लागू नहीं होता
		2. D			
	ए जाने वाले व्यक्तिये क और अन्य अर्हताए		व्यक्तियों आयु और प्रोन्तत व्य	किए जाने वाले के लिए विहित : शैक्षिक अर्हताएं क्तियों की दशा ोंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
<del></del>	(7)		(8)	)	(9)
l <del>a lina di</del>	लागू नहीं होता	g:	लागू नही	 होता	शून्य
या प्रतिनियुक्ति	द्गितः भर्ती सीधे हो । या आमेलन द्वारा तः वाले पदों की प्रतिशा (10)	था विभिन्न पद्धतियों		प्रोन्नति अथवा प्रति	आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां, नियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
पोन्नित दारा वि	जसके न हो सकने प	र प्रतिनियक्ति दारा	प्रोन्नति		
יז ואום אווייות	ગલના ૧ ફા લગા ૧	Candrighad gide	ऐसे सहार + ग्रेड वे	यक हलवाई-सह-रसो	इया जिन्हें वेतन बैंड–1,5200–20200 रु. ा गया है और जिसने उस श्रेणी में कम से नी हो ।
			अर्हक य रहा हो, द परंतु यह अपेक्षित से जो र्भ सहित, र् अगली द	ा पात्रता सेवा पूरी क वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्ति तब जबिक उनके ह अर्हक या पात्रता सेवा ो कम हो, कम न हो जन्होंने ऐसी अर्हक	ष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी र ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा क्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, ा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें ते और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, नित के लिए अपनी परिवीक्षा की अविधि
			प्रयोजन की गई f	के लिए किसी अधि नेयमित सेवा या उस	न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के कारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पूर्व पूरी तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग गंशोधित वेतन ढ़ांचा लागू किया गया है, को

(11)

आयोग की सिफारिशों के आधार पर लागू किए गए संबंधित ग्रेड वेतन या वेतनमान में पूरी की गई सेवा समझी जाएगी।

## प्रतिनियुक्ति :

केंद्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी -

- (क)(i) नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हैं; या
- (ii) 1900 रु. ग्रेड वेतन सहित 5200-20200 रु. के वेतन बैंड-1, में नियमित आधार पर सहायक हलवाई-सह-रसोइया के पद पर तीनवर्ष की सेवा की हो; और
- (ख) निम्नलिखित अर्हताएं और अनुभव रखते हों :-
- (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से दसवीं कक्षा उत्तीर्ण हो और भोजन-प्रबंध अथवा समतुल्य में प्रमाणपत्र अथवा डिप्लोमा ।
- (ii) किसी सरकारी विभाग अथवा उपक्रम में कार्य करने का दो वर्ष का अनुभव और अर्हता रखते हों।

टिप्पण 1: केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य संगठन/ विभाग या उसी में नियुक्ति से तुरंत पूर्व अन्य संवर्ग/बाह्य पद में प्रतिनियुक्ति की अविध सिंहत प्रतिनियुक्ति की अविध सामान्यत: तीन वर्षों से अधिक नहीं होनी चाहिए । प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

टिप्पण 2: पोषक वर्ग में विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नित के लिए तैयार हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति पर विचार के लिए पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति पर आए व्यक्ति प्रोन्नित के द्वारा नियुक्ति के विचार के लिए पात्र नहीं होंगे ।

(प्रतिनियुक्ति पर आए व्यक्ति की शैक्षिक अर्हता और अनुभव वही होंगे जो स्तम्भ (7) में सीधे भर्ती हुए व्यक्तियों के लिए निर्दिष्ट हैं)

यदि विभागीय प्रोन्नित सिमिति है, तो उसकी संरचना		भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श			
		किया जाएगा		11.	
(12)			(13)		
प्रोन्नित के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नित समिति :			लागू नहीं होत		
1. रक्षा लेखा महानियंत्रक के अधीन अन्य कार्यालयों के लिए :—			# I)	Elec Sales	
<ul><li>(i) रक्षा लेखा नियंत्रक/रक्षा लेखा संयुक्त नियंत्रक</li></ul>	–अध्यक्ष		25 420 21	M 'n	
<ul><li>(ii) रक्षा लेखा उपनियंत्रक/रक्षा लेखा सहायक नियंत्रक</li></ul>	–सदस्य		0		
(iii) ज्येष्ठ लेखा अधिकारी	–सदस्य			**************************************	
				r:	

	(12)	a.			
 रक्षा लेखा मह		र्गित्य के लिए :-		- (II-) II-)	
(i) रक्षा लेख	बा ज्येष्ठ उप महानि	ायंत्रक/ -ः	अध्यक्ष		
रक्षा लेर	बा उप महानियंत्रक	i ki			
(ii) रक्षा लेर	बा सहायक महानिय	गंत्रक -	-सदस्य		8
(iii) ज्येष्ठ लं	ोखा अधिकारी	-	-सदस्य		
	F	14 15			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. सहायक हलवाई-सह- रसोइया	11* (2015) - *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1, 5200— 20200 रु. + ग्रेड वेतन 1900 रु.	अचयन	18 से 25 वर्ष के बीच (इस संबंध में समय-समय पर जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों को 40 वर्ष तक छूट) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी-उपखण्ड, अंदमान एवं निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित की गई है)।
				(0)	(0)
	(7)			(8)	(9)
कक्षा उत्तीर्ण र प्रमाणपत्र अथा (ख) कैंटीन प के हेल्पर के र (ग) अभ्यर्थी : विभागीय प्रोन् एक व्यावसां जिसमें स्वास्थ्य टिप्पण : अर् समुदाय के अ के विवेकानुसा दी जा सकती सक्षम प्राधिका रखने वाले इन	और भोजन-प्रबंध र वा डिप्लोमा । गिरचारक अथवा हर रूप में एक वर्ष का की योग्यता का मूल्य गित समिति द्वारा पा यिक कौशल परीध गुसूचित जाति और भ्यर्धियों के मामले ार अनुभव से संबंधि है, बशर्ते कि चयन री की यह राय हो समुदायों के अभ्यर्थी	तवाई-सह-रसोइया कार्य अनुभव किन करने के लिए ककला से संबंधित तण किया जाएगा ग भी सम्मिलित है। अनुसूचित जनजाति		नहीं	सीधी भर्ती के व्यक्तियों के लिए दो वर्ष, प्रोन्नत के लिए शून्य

(10)

10)

75% प्रोन्नित द्वारा और 25% सीधी भर्ती द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (11)

### प्रोन्ति :

ऐसे कैंटीन परिचारक जिन्हें वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 1800 रु. में रखा गया है और जिसने उस ग्रेड में कम से कम तीन वर्ष नियमित सेवा की हो ।

पाक के संदर्भ में विभागीय प्रोन्नित समिति द्वारा व्यवसाय परीक्षा संचालित की जाएगी जिसमें अनुरक्षण स्वच्छता सम्मिलित है ।

टिप्पण 1 : जहां ऐसे किनष्ट व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबिक उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सिहत, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नित के लिए अपनी परिवीक्षा की अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण 2: प्रोन्नित के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पूर्व पूरी की गई नियमित सेवा या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित संशोधित वेतन ढ़ांचा लागू किया गया है, को आयोग की सिफारिशों के आधार पर लागू किए गए संबंधित ग्रेड वेतन या वेतनमान में पूरी की गई सेवा समझी जाएगी।

# प्रतिनियुक्ति:

केंद्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी -

- (i) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हैं; या
- (ii) 1800 रु. ग्रेड वेतन सिंहत 5200-20200 रु. के वेतन बैंड-1, में नियमित आधार पर कैंटीन परिचर के पद पर तीन वर्ष की सेवा और हलवाई-सह-रसोइया के हेल्पर के रूप में एक वर्ष का अनुभव; और
- (iii) भोजन-प्रबंध में प्रमाणपत्र अथवा डिप्लोमा रखता हो ।

टिप्पण 1: केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य संगठन/ विभाग या उसी में नियुक्ति से तुरंत पूर्व अन्य संवर्ग/बाह्य पद में प्रतिनियुक्ति की अविध सिंहत प्रतिनियुक्ति की अविध सामान्यत: तीन वर्षों से अधिक नहीं होनी चाहिए । प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

टिप्पण 2: पोषक वर्ग में विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नित के लिए तैयार हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति पर विचार के लिए पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति पर आए व्यक्ति प्रोन्नित के द्वारा नियुक्ति के विचार के लिए पात्र नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति पर आए व्यक्ति की शैक्षिक अर्हता और अनुभव वहीं होंगे जो स्तम्भ (7) में सीधे भर्ती हुए व्यक्तियों के लिए निर्दिष्ट हैं)

प्रोन्नित और पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए समृह 'ग' विभागीय प्रोन्ति समिति :

(13)लागू नहीं होता ।

(11)

1. रक्षा लेखा महानियंत्रक के अधीन अन्य कार्यालयों के लिए:-

(i) रक्षा लेखा नियंत्रक/रक्षा लेखा

(12)

संयुक्त नियंत्रक

-अध्यक्ष

रक्षा लेखा उपनियंत्रक/रक्षा लेखा (ii) सहायक नियंत्रक

-सदस्य

(iii) ज्येष्ठ लेखा अधिकारी

-सदस्य

# रक्षा लेखा महानियंत्रक के कार्यालय के लिए :-

रक्षा लेखा ज्येष्ठ उप महानियंत्रक/ रक्षा लेखा उप महानियंत्रक

-अध्यक्ष

(ii) रक्षा लेखा सहायक महानियंत्रक

–सदस्य

ज्येष्ठ लेखा अधिकारी (iii)

-सदस्य

[फा. सं. एफ. 9(4)/सी/2011]

देविका रघुवंशी, संयुक्त सचिव और अपर वित्तीय सलाहकार

### (Finance Division)

### New Delhi, the 22nd July, 2015

- S.R.O. 31.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in Supersession of the Defence Accounts Department Non-statutory Canteens (Group 'C' and Group 'D') posts Recruitment Rules, 2000, in so far they relate to the posts of Halwai and Assistant Halwai, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Halwai-cum-Cook and Assistant Halwai-cum-Cook under Non- statutory Departmental Wet Canteens in the Ministry of Defence, Defence Accounts Department, namely ;-
- 1. Short title and Commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Defence, Defence Accounts Department, Halwai-cum-Cook and Assistant Halwai-cum-Cook (Group 'C 'posts), Recruitment Rules, 2015.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of post, classification, pay band and grade pay or pay scale.— The number of the said post, their classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in column (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

#### [PART II—SEC. 4]

- 4. Disqualification .- No person,-
- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. Power to relax.— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- **6. Saving.** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and any other special categories of persons in accordance with the orders issued by the CentralGovernment from time to time in this regard.

SCHEDIT E

		,	SCHEDULE		175		
Name of post	Number of posts	Classification	Pay Band and grade pay or pay scale	Whether selection post or non-selection post	3*	Age limit i	for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	3	* 1	(6)
1. Halwai-cum- Cook	40* (2015) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-1, Rs. 5200— 20200 plus grade pay of Rs. 2000	Non-selecti	on te	Not	applicable
	W				1	3 8	
Educational and o	other qualificatio	ns required for	qualification	and education s prescribed s will apply in lotees	for	Period	of probation, if any
(7)	)	The state of the s	(8)		- 11		(9)
Not appl	icable		Not applica	ble	\$		NiI
or by promotion	or by deputat	by direct recruitmer ion or absorption an lled by various method	id absort	se of recruitme otion grades from	om wl	promoti hich promo	on or deputation or otion or deputation or
(10)			(11)	25.	-34		
Promotion failing which by deputation.		Prom	otion :	i			

113

(11)

Assistant Halwai-cum-Cook with atleast three years regular service in the pay band-1, Rs.5200-20,200 plus grade pay of Rs.1900.

Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission have been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission.

#### Deputation:

Officers of the Central Government-

- (a) (i) holding analogous post on regular basis; or
- (ii) Assistant Halwai-cum-Cook with atleast three years regular service in the pay band-1, Rs. 5200-20,200 with grade pay of Rs.1900; and
- (b) possessing the following qualifications and experience;
- (i) 10th Class Pass from a recognized board with a certificate or diploma in catering or equivalent.
- (ii) Two years experience in a Government Department or Undertaking preferred and possessing the qualification.
- Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum agelimit for deputation is 56 years as on the closing date of receipt of application.

Note 2: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

316	THE GAZET	TE OF INDIA: AU	GUST 1, 2015/5	SRAVANA 10, 19	37	[Part	П—Sec. 4]
					(11)		<del></del>
	a .		quali		xperie	l possess the ed nce prescribed lumn 7).	
If a Department	al Promotion Com	mittee exists, what is	its composition		on is t	which Union Pub o be consulted	
	(12)				(	13)	
	rtmental Promoti g promotion) cons				Not ap	pplicable.	
1. Other offices Defence Accour	under the Contro nts-	oller General		: :			
	of Defence Accor f Defence Accour		—Chairman	3	, i		
(ii) Deputy Cor Assistant Co	ntroller of Defenc ontroller of Defen	ce Accounts/	—Member			-1	
(iii) Senior Acco	ounts Officer		—Member		i.	, in	
2. Office of the O	Controller Generats-	al		2		54 54 91	
(i) Senior Depu Accounts/I Defence Ac	ty Controller Gene Deputy Controlle counts	eral of Defence er General of	—Chairman	*		t. To. Wi	
(ii) Assistant Co Accounts.	ontroller General c	of Defence	—Member		5	<b>A</b>	
(iii) Senior Acco	unts Officer	1940 - 1940 - 1940	—Member	:		6. 0	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	·	(6)	29
2. Assistant Halwai -cum Cook	11*(2015) *(Subject to variation dependent on work load).	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-1, Rs. 5200— 20,200 plus Grade Pay of Rs. 1900	selection	(Rela Candi years instru- time to Note detern the cl applica India prescri	een 18 and 25 year xable for Department of the accordance of time in this regardance in the crucial mining the age-limited of the crucial faction from candidate for the claim of the claim	artmental age of 40 with the rs issued rd). date for it shall be receipt of didates in sing date n Assam,

Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi

		( mass
		(6)
		Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).
I 6		
(7)	(8)	(9)
(a) 10th class pass with a certificate or diploma in catering or equivalent from a recognized Board or Institute. (b) One years experience as a Canteen Attendant or helper to Halwai-cum-cook.	loma in catering or equivalent from a recreognized Board or Institute.  One years experience as a Canteen	
(c) A Trade Skill Test for cooking including maintenance of hygiene shall be conducted by the Departmental Promotion Committee to assess the suitably of the candidate.		
Note: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates belonging Scheduled Castes Scheduled Tribes if at any stage of selection the Competent Authority is of the opinion that the		
sufficient number of candidates belong- ing to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.		
(10)		(11)
75% by promotion and 25% by direct recruitment	Promotion:	

75% by promotion and 25% by direct recruitment failing which by promotion

# Promotion:

Canteen Attendant in the Pay Band-1, Rs.5200-20,200 grade pay of Rs.1800 with atleast three years regular service.

A Trade test shall be got conducted by the Departmental Promotion Committee with reference to the cookiing including maintenance of hygience.

Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibilily service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their

(11)

juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006, or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission have been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission.

### Deputation:

Officers of the Central Government-

- (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department, or
- (ii) Canteen Attendant In the Pay Band-1 of Rs. 5200-20200 with grade pay of Rs. 1800 with at least three years regular service and having one year experience as helper to Halwai-cum-Cook; and
- (iii) possessing Certificate or Diploma in Catering.

Note: 1: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization of department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age-limit for deputation is 56 years as on the closing date of receipt of applications.

Note 2: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line or promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

(The deputationists should possess the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 7).

Group 'C' Departmental Promotion Committee
(for considering promotion) and Confirmation
consisting of :—

1. Other offices under the Controller General
Defence Accounts-

(12)	
(i) Controller of Defence Accounts/Joint Controller of Defence Accounts.	—Chairman
(ii) Deputy Controller of Defence Accounts/ Assistant Controller of Defence Accounts.	—Member
(iii) Senior Accounts Officer	Member
2. Office of the Controller General Defence Accounts-	
(i) Senior Deputy Controller General of Defence Accounts/Deputy Controller General of Defence Accounts	—Chairman
(ii) Assistant Controller General of Defence Accounts.	—Member
(iii) Senior Accounts Officer	—Member

[F. No. 9(4)/C/2011]

DEVIKA RAGHU VANSHI, Jt. Secy. and Addl. Financial Adviser

. . !:

13